न्यायालय उपखण्ड अधिकारी फागी जिला जयपुर

न्याय आपके द्वार राजस्व लोक अदालत कैम्प कोर्ट अटल सेवा केन्द्र
ग्राम पंचायत निमेडा

शिविर प्रभारी अधिकारी : श्री सावन कुमार चायल, आर.ए.एस.

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्याः 390/2016

रज्जु दिनांकः 06/07/2016

निर्णय दिनांक : 11/05 /2017

गोविन्द पुत्र बीज्या जाति माली, निवासीः निमेडा, तहसील फागी, जिला जयपुर।

.....प्रार्थी

बनाम

1. मांगीलाल पुत्र बीज्या
2. देवालाल पुत्र बीज्या
3. हनुमान पुत्र बीज्या
4. मनभर देवी पुत्री बीज्या

समस्त जाति माली, निवासीः निमेडा, तहसील फागी, जिला जयपुर।

5. उपपंजीयक फागी, तहसील फागी, जिला जयपुर।
6. तहसीलदार फागी, तहसील फागी, जिला जयपुर।

——अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र बाबत अस्थायी निषेधाज्ञा

—: निर्णय :—

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा का न्यायालय के समक्ष इस आशय का पेश किया कि प्रार्थी ने माननीय न्यायालय के समक्ष उपरोक्त शीर्षकीय वाद पत्र विधिवत रूप से एवं ठोस आधारो पर पेश किया है जिसमें प्रार्थी को सफलता मिलने की पूरी—पूरी आशा है। विवादग्रस्त आराजी खतौनी संख्या 378 के खसरा नंबर 1012/55 रकबा 5 बीघा

उपखण्ड अधिकारी फागी (जयपुर)

भूमि वाके ग्राम निमेडा, तहसील फागी, जिला जयपुर में स्थित है जिसमें प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण दर्ज राजस्व रिकॉर्ड अनुसार खातेदार काश्तकार है एवं मौके पर बाहमी बंटवारा कर काबिज काश्त है। इसी हिस्सेनुसार प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण काबिज काश्त रहकर सरकारी लगान जमा कराते चले आ रहे है। प्रार्थी उपरोक्त आराजीयात में अपने नाम दर्ज राजस्व रिकॉर्ड हिस्से को मौके पर बाहमी बंटवारा कर काबिज काश्त है। आराजीयात को प्रार्थी ने काफी पैसा खर्च कर समतल एवं उपजाऊ बना लिया है। प्रार्थी के हिस्से की जमीन से अप्रार्थीगण का कोई संबंध व सरोकार नहीं है इस कारण अप्रार्थीगण की नियत में फितूर है इसलिये अप्रार्थीगण बाहमी बंटवारे को नहीं मानकर प्रार्थी को हैरान परेशान कर उसकी उपजाऊ भूमि पर कब्जा कर लेना चाहते है एवं मौके पर कब्जे काश्त की भूमि को खुर्द–बुर्द करने पर आमादा है अपने इस उद्देश्य की पूर्ति के लिये अप्रार्थीगण प्रार्थी से मेर कोर को लेकर आये दिन विवाद उत्पन्न करने लगे है। प्रार्थी ने आराजी में से अपने हिस्से की आराजी पर काबिज काश्त है। प्रार्थी ने अपने हिस्से की भूमि में काफी पैसा एवं श्रम खर्च करके उसे काफी उन्नत एवं उपजाऊ बना लया है। इस कारण अप्रार्थीगण की नियत में फितूर है एवं वह बाहमी बंटवारे को नहीं मानकर येनकेन प्रकारेण प्रार्थी जो रिकॉर्डेड खातेदार काश्तकार है को हैरान परेशान कर उसकी कब्जे काश्त की भूमि को अपनी बताकर बेचान कर बेदखल करने की फिराक में है जिसका अप्रार्थीगण को बिना विधिवत तकासमा करवाये कोई कानूनी अधिकार नहीं है। प्रार्थी ने अप्रार्थीगण को आराजीयात का विधिवत तकासमा बाहमी बंटवारे एवं मौके पर कब्जे अनुसार करा लेने हेतु कई बार कहा परन्तु हर बार अप्रार्थीगण प्रार्थी को कोई न कोई बहाना बनाकर आज दिन तक टालते चले आ रहे है कि समय मिलने पर विधिवत तकासमा करा लेगे अभी हम बाहमी बंटवारे अनुसार अपने अपने हिस्से की भूमि पर काबिज काश्त है इसमे चिन्ता की कोई बात नहीं है। अभी हाल ही में दिनांक 03.07.2016 को जब प्रार्थी अपनी बाहमी बंटवारे अनुसार कब्जे काश्त एवं खातेदारी के हिस्से की भूमि पर देखरेख करने हेतु गया तो अप्रार्थीगण दो तीन अजनबी व्यक्तियो को मौके पर लेकर आये एवं प्रार्थी की आराजी की ओर इशारा करते हुये बेचान की बातचीत करने लगे। प्रार्थी के मना करने पर ऐलानिया धमकी दी कि तुम्हारे कब्जे काश्त की जमीन को इन लोगो को बेचान करके तुम्हे कब्जे से बेदखल कर देगे। हम तुम्हारे बाहमी बंटवारे की उन्नत एवं उपजाऊ भूमि पर काश्त करेगे जिस पर प्रार्थी ने उन्हे समझाया कि बाहमी बंटवारे अनुसार हम अपने हिस्से की भूमि पर अपने पिता के समय से ही काबिज काश्त है जिस पर मैने काफी पैसा व श्रम खर्च करके उन्नत एवं उपजाऊ बना रखा है यदि

उपखण्ड अधिकारी फागी (जयपुर)

तुम्हारे द्वारा ऐसा गलत कार्य किया गया तो यह हमारे साथ अन्याय होगा जिस पर अप्रार्थीगण व परिवारजनो ने प्रार्थी को धमकी दी कि यदि तुमने हमें आराजी भूमि पर काश्त हमारे मनमाफिक स्थान पर नहीं करने देगे तो हम अप्रार्थीगण अपने हिस्से की आराजीयात का बेचान ऐसे व्यक्तियो को कर देगे जो तुम्हे हमारे काबिज स्थान जो कि बाहमी बंटवारे में तुम्हारे कब्जे काश्त में है जिसे तुमने उन्नत एवं उपजाऊ बना रखा है से बेदखल कर देगे। अप्रार्थीगण को कोई हक व अधिकार प्राप्त नहीं है कि वो आराजी भूमि अविभाजित में अपने हिस्से के बेचान कर प्रार्थी के हिस्से की भूमि जो बाहमी बंटवारे में प्रार्थी के कब्जे काश्त में है, से बेदखल कराने के लिए दीगर व्यक्ति को बेचान करे एवं प्रार्थी के कब्जे काश्त में किसी प्रकार की मजाहमत उत्पन्न करावे कब्जे काश्त से बेदखल करावे जबकि प्रार्थी को यह कानूनी हक व अधिकार है कि वो मान्य न्यायालय के द्वारा आराजी का विधिवत तकासमा करा ले एवं अप्रार्थीगण को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद करा दे। उपरोक्त वर्णित तथ्यो के आधार पर प्रथम दृष्टया केस प्रार्थी के पक्ष में सुदृढ एवं बखूबी साबित है। उपरोक्त वर्णित तथ्यो के आधार पर सुविधा का संतुलन एवं अपूरणीय क्षति के दोनो बिन्दु प्रार्थी के पक्ष में सुदृढ एवं बखूबी साबित है क्योकि प्रार्थी आराजी भूमि में अपने हिस्से की खातेदारी पर काबिज काश्त है जिसे यदि अप्रार्थीगण दीगर व्यक्तियो को आराजी का बेचान कर उसके कब्जे के स्थान पर प्रार्थी के कब्जे पर क्रेता आकर काबिज होकर प्रार्थी को बेदखल कर देगा तो प्रार्थी को ऐसी अपूरणीय क्षति कारित होगी जिसको क्षतिपूर्ति रूपये पैसो में नहीं की जा सकेगी तथा सुविधा का संतुलन भी इसमें है कि अप्रार्थीगण प्रार्थी को बाहमी बंटवारे में आई भूमि से प्रार्थी को बेदखल न करे न करावे।

प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में यह अनुतोष चाहा है कि अप्रार्थीगण को ता फैसला मूल वाद इस अमर से अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद फरमाया जावे कि अप्रार्थीगण प्रार्थना पत्र में वर्णित आराजी को रहन, बेय, मुन्तकिल न करे, आराजी घर पर से प्रार्थी को बेदखल न करे, न करावे, प्रार्थी को शान्तिपूर्वक काबिज काश्त, उपयोग–उपभोग करने देवे, इसमें किसी प्रकार की मजाहमत न स्वयं करे, न करावे, मौके एवं राजस्व रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाये रखने हेतु अप्रार्थी संख्या 5 व 6 को हुक्मनामा जारी फरमाया जावे।

पत्रावली दिनांक 06.07.2016 को रिपोर्ट होकर न्यायालय में प्रस्तुत हुई। वकील प्रार्थी को सुना गया व पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। बाद अवलोकन न्यायहित में अप्रार्थीगण को अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाना

उचित पाया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये अंतरिम अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया गया कि आराजी खसरा नंबर 1012/55 रकबा 05 बीघा भूमि वाके ग्राम निमेडा, तहसील फागी जिला जयपुर में स्थित आराजीयात के मौके एवं राजस्व रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाये रखे।

पत्रावली कैम्प कोर्ट में पेश हुई। वकील प्रार्थी उप0। अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 4 बावजूद नोटिस तामील अनुपस्थित। अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 4 के विरूद्व एकतरफा कार्यवाही की गयी। अप्रार्थी संख्या 5 व 6 की ओर से पैरोकार राज0 ने उपस्थित होकर जवाब प्रस्तुत करने से इंकार किया।

बहस सुनी गई।

बहस पर मनन किया गया। पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात जमाबंदी, दावा पत्रावली इत्यादि का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। बाद अवलोकन यह पाया गया कि आराजीयात खसरा नंबर 1012/55 रकबा 5 बीघा ग्राम निमेडा, तहसील फागी, जिला जयपुर में प्रार्थी एवं अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 4 का हक हिस्सा निहित है। प्रार्थी/वादी ने मूल वाद तकासमा का पेश किया है।

चूंकि प्रार्थना–पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा का निस्तारण निर्धारित अवधि में किया जाना होता है। इस कारण न्यायालय के दृष्टिकोण में मूल वाद के निस्तारण तक प्रार्थी व अप्रार्थीगण को अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 212 रा0काश्त0 अधिनियम आंशिक स्वीकार किया जाकर प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण को मूल वाद के निस्तारण तक जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि खसरा नंबर 1012/55 रकबा 5 बीघा ग्राम निमेडा, तहसील फागी, जिला जयपुर के मौका एवं रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 11/05/2017 को राजस्व लोक अदालत कैम्प कोर्ट निमेडा में सुनाया गया।

मुद्रा

उपखण्ड अधिकारी
फागी